न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर

मु0नं0	ऑनलाईन नं0	किस्म	उनवान	तारीख रज्जू	निर्णय दिनांक	पृष्ठ
11/18	2018/00049	गुण्डा एक्ट	सरकार बनाम जाकिर	04.07.2018	22.12.2025	1लगायत 3

सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर

बनाम

श्री जाकिर पुत्र श्री बाबू खॉ जाति मुसलमान लुहार उम्र 28 साल निवासी दशहरा मैदान,गंगापुर सिटी

निर्णय

(इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975)

थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के द्वारा इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर के इस न्यायालय में गैरसायल श्री जाकिर पुत्र श्री बाबू खॉ जाति मुसलमान लुहार उम्र 28 साल निवासी दशहरा मैदान,गंगापुर सिटी पुलिस थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस आश्य का प्रस्तुत किया कि गैरसायल जो शिक्षा पूरी नही कर पाया और कस्बा गंगापुर सिटी के बदमाशान के साथ उठ बैठ कर शराब पीना, जुआ, सट्टा की खाईवाली करना, बीडी पीना सीख गया इस कारण बुरी आदतों में पड जाने के कारण अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाले नागरिकों को ताश पत्तों से जुआ खेलना, खिलवाना सीख तथा सट्टा की खाईवाली करने लग गया और अपराध करने लगा। जिसके खिलाफ थाना पर जुआ व सट्टा के हस्ब जेल अभियोग थाना हाजा पर दर्ज हुए है। नगर पालिका क्षेत्र में इस प्रकार सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलने एवं सट्टे की खाईवाली करने से नगर पालिका क्षेत्र गंगापुर सिटी में रहने वाली आम जनता के जीवन के लिए एवं शान्ति व्यवस्था के लिए पूर्ण रूपेण खतरा बन गया है। इससे लोग भारी परेशान है। यह जुआ व सट्टा जैसे कई अपराध अभ्यासतः करता रहा है। जिसमें इसका चालान समय समय पर पेश न्यायालय किये गए है। जो जेर ट्राईल न्यायालय है। राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 की धारा 3 की नोहित में आने वाले विभिन्न अपराध उक्त अपराधी अभ्यासतः करता आ रहा है। तथा इसको कानून का कोई डर नहीं रह गया है। बार–बार गिरफ्तारी के बाबजूद भी यह लगातार घटनाऐं कर रहा है। आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है।

1. दिनांक 21.10.2010 को श्री सूरजभान सिंह ए.एस.आई थाना गंगापुर सिटी की रिपोर्ट पर मु0न0 759/10 धारा 13 आरपीजीओ कायम हुआ, बाद अनुसंधान चार्जशीट न0 393/10 दिनांक 30.11.10 किता कर चालान न्यायालय श्रीमान एम.जे.एम साहब गंगापुर सिटी में पेश किया गया। न्यायालय ने दिनांक 18.04.2011 को मुलजिम को 100 रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र व निर्णय आदेश न्यायालय संलग्न है।

2. दिनांक 18.09.2011 को श्री नारायण दान सी.आई. थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 644/11 धारा 13 आरपीजीओ कायम हुआ, बाद अनुसंधान चार्जशीट न0 321 दिनांक 23.09.11 किता कर चालान न्यायालय श्रीमान एम.जे.एम [illegible] सिटी में पेश किया गया। न्यायालय ने दिनांक 27.09.2011 को मुलजिम को 50 रू के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट, आरोप पत्र व निर्णय आदेश न्यायालय संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

इस प्रकार यह व्यक्ति गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की तारीफ में आता है। अतः जाकिर पुत्र श्री बाबू खान जाति मुसलमान लुहार उम्र 28 साल निवासी दशहरा मैदान महीदास बालाजी के पास गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस्तगासा धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत पेश कर अर्ज है कि बाद समायत उक्त व्यक्ति को जिला बाहर किये जाने के आदेश फरमाने कृपा करें। ताकि थाना क्षेत्र में सुख शांति से लोग जीवन बसर कर सकें।

इस्तगासा प्राप्त होने पर न्यायालय में पंजीबद्ध कर सारगर्भित बिन्दुओं को दर्शाते हुए गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल के उपस्थित होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

गैरसायल दिनांक 24.11.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर इस्तगासा में अंकित जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सहमति से प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

सहायक लोक अभियोजक अपनी बहस के दौरान व्यक्त किया कि गैरसायल की आपराधिक गतिविधियां निरन्तर बढती जा रही है। गैरसायल के विरूद्ध अब तक 02 प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये जा चुके हैं। न्यायालय द्वारा 02 प्रकरणों में सजायाब (दोषसिद्ध) किया जा चुका हैं । दोषसिद्ध ठहराया जाने के उपरान्त भी उक्त व्यक्ति जुऑ–सट्टा का अपराध लगातार कर रहा हैं जिसकी रोकथाम के लिये थाना बदर किया जाना आवश्यक हैं। ताकि इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहान की साक्ष्य पर मनन कर पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2 खण्ड–ख(अ) में परिभाषित किया गया हैं कि राजस्थान लोक धूत अध्यादेश 1949 (सन् 1949 का राजस्थान अध्यादेश 48) के अधीन कम से कम दो बार दोषसिद्ध हुआ हो, वह व्यक्ति गुण्डे की श्रेणी में आता हैं। उक्त परिभाषा को देखते हुये स्पष्ट होता हैं कि कम से कम दो अपराध करने वाले व्यक्ति को भी गुण्डा के रूप में परिभाषित किया गया हैं। गैरसायल के विरूद्ध 13 आर.पी.जी.ओ. के 02 मुकदमात दर्ज हुये हैं उक्त दोनों प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हैं । जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त आधार हैं के गैरसायल की गतिविधियों से लोक व्यवस्था में विपरीत प्रभाव पड सकता हैं। उक्त आधार पर गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करना न्याय संगत हैं।

अतः पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उप धारा (1) के खण्ड (क), (ख), और (ग) में विनिर्दिष्ट स्थितियां विद्यमान हैं। अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैरसायल को 07 दिन की अवधि के लिए सवाई माधोपुर जिले में थाना बदर करने का आदेश देता हूं। गैरसायल आज की तारीख से 15 दिन पश्चात यानि 02.01.2026 से 07 दिन के लिए जिला करौली के थाना कुडगांव में दिन में एक बार प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देगा तथा थानाधिकारी थाना कुडगांव गैरसायल की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें तथा साप्ताहिक रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करेगें। थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी गैरसायल को पुलिस अभिरक्षा में उक्त नियत तिथि को थाना .कुडगांव जिला करौली में पहुंचाने की व्यवस्था करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

थानाधिकारी, थाना कुडगांव को निर्देशित किया जाता हैं कि वह प्रतिदिन उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना इस न्यायालय को भिजवाने की सुनिश्चितता करेगें एवं थानाधिकारी थाना गंगापुर सिटी गैरसायल के कस्बा गंगापुर सिटी मे वापस लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें। संबंधित थानाधिकारियों को तहरीर जारी की जावें तथा प्रति सूचनार्थ जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर एवं जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर को दी जावें। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.24 18:41:28 IST
Reason: SelfAttested